कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, आजमगढ़

पत्रांक–2798/8 ए *दिनांक 23 .09. 2016*

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

विषय :– अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशन हेतु प्रेस विज्ञप्ति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अल्पकालीन निविदा सूचना संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेशित है कि कृपया निम्न विवरण के अनुसार हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू दैनिक समाचार पत्र में इसका प्रकाशन कराने का कष्ट करें–

क्रम सं0	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन का स्थान	कितनी बार छपना है	दिनांक
1	अमृत प्रभात (हिन्दी संस्करण)	आजमगढ़/इलाहाबाद	एक बार	03.10.2016 से पूर्व
2	दैनिक जागरण (हिन्दी संस्करण)	आजमगढ़/वाराणसी	एक बार	03.10.2016 से पूर्व
3	हिन्दुस्तान (हिन्दी संस्करण)	आजमगढ़/वाराणसी	एक बार	03.10.2016 से पूर्व
4	अमर उजाला (हिन्दी संस्करण)	आजमगढ़/वाराणसी	एक बार	03.10.2016 से पूर्व

संलग्नक– 1– अल्पकालीन निविदा सूचना प्रपत्र (6 प्रतियों में)
2– एक अदद सी0डी0

(इं0 अवधेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
आजमगढ़

पत्रांक–2798 /8 ए *दिनांक 23 .09. 2016*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निविदा सूचना की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
2– मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, आजमगढ़
3– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
4– अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, आजमगढ़
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0/नि0ख0/नि0ख0–5, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
6– समस्त सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
7– जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़/जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), अधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के वेबसाईट पर इसे अपलोड करने का कष्ट करें। संलग्नक–एक अदद सी0डी0)
8– खण्डीय लेखाधिकारी/खण्डीय कैशियर निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
आजमगढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 आजमगढ़।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

पत्रांक–2798/8 ए *दिनांक 23 .09. 2016*

1. महामहिम राज्यपाल महोदय उ.प्र. की ओर से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 आजमगढ़, उ.प्र., लो0नि0वि0 में (A.B.C.D.) श्रेणी में पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित करते हैं, निविदादाता (Bidder) किसी अथवा सभी कार्यों हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
2.

क0 सं0	जन पद का नाम	कार्य का नाम	लागत (लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय का पता	जिला धिकारी कार्यालय का पता	मुख्य अभियन्ता कार्यालय का पता	पी.एन.बी. कार्यालय का पता	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आजमगढ़	सरायमीर बीनापारा रसूलपुर मार्ग से हसनपुर ग्रामसभा में मदरसा इसलाह के पूरब तरफ सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	26.00	2.60	500+300 +ट्रेड टैक्स	एक माह	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 आजमगढ़।	अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़।	जिलाधिकारी, आजमगढ़।	मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़।	शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मड़या, आजमगढ़।	A, B, C, D

3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कालम–7 में वर्णित है।
4. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (Bidding Document) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवम मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से जैसा कि कालम 8, 9, 10, 11 एवं 12 में क्रमशः पते अंकित है, से दिनांक **03/10/2016** से **05/10/2016** तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में गैर वापसी शुल्क रू0 500.00 (पांच सौ मात्र) स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम सं. 6 में दर्शाया गया है, में नगद या किसी भी राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 आजमगढ़ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा, खरीदा जा सकता है। ठेकेदार जो अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं वह वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, जहां से निविदा प्रपत्र खरीदें जायेंगे। निविदा प्रपत्र (Bidding Document) पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाए जाने की अवस्था में ठेकेदार को दिनांक **04/10/2016** को सायं 4.00 से पूर्व रू0 200 अतिरिक्त जमा करने होंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.uppwd.up.nic.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिसके लिए रू0 500/– का स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम 6 में दर्शाया गया है, में किसी राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0, आजमगढ़ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। निविदा प्रपत्र (Bidding Document) वेबसाइट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है।
6. वेबसाइट पर निवदा प्रपत्र डाउनलोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. निविदाएं कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियनता के कार्यालय में जिनके पते क्रमशः 8, 9, 10, 11 में अंकित हैं, को दिनांक **06/10/2016** अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी, जिनकी तकनीकी निविदायें अगले कार्यकारी दिवस दिनांक **07/10/2016** को दोपहर 12.30 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय (जैसा कि कालम नं. 10 में दर्शाया गया है) में निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बंद होता है तो निविदायें

अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त और खोली जायेगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कालम में दर्शाया गया है, को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एन. एस.सी./राश्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 आजमगढ़ के पक्ष में बंधक होगी, जो कि निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relations & There Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत हैं।
10. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवानिवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता /अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिश्टियां, ड्राइंग विभिन्न कार्यों के शिड्यूल आफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है, को कार्य समय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक दिनांक **03/10/2016** से **05/10/2016** तक देखी जा सकती है।
12. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
13. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
14. दस लाख से ऊपर के कार्यों के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्नक–1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर बिड कैपीसिटी के मूल्यांकन में आवश्यक सारी सूचनाएं रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर एफीडेविट के रूप में देनी होगी। निविदादाता को बिड जमा करने से पूर्व बिड कैपीसिटी के लिए स्वयं को संतुश्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी। जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपीसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी वित्तीय निविदा किसी भी स्थिति में नहीं खोली जायेगी।
15. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनाएं निर्धारित प्रोफार्मा (T-4, T-5, T-6) और रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
16. निविदा के स्वीकृति के पूर्व तथा निविदा की स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता अवधि में निविदा वापस लेने पर अथवा स्वीकृत पत्र में निर्देशित अवधि में अनुबन्ध गठन हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर जमा करते हुए यदि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करके अनुबन्ध नहीं बनवाया जाता है तो निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि राजकीयहित में जब्त की ली जायेगी।
17. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में निविदादाता द्वारा निविदा में अपनी दरें विभागीय दर से 10 प्रतिशत बिलो दर पर निविदा देने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर से तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दर पर निविदा दरें देने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी के रूप में अतिरिक्त सिक्योरिटी अनुबन्ध गठन के समय ली जायेगी एवं तद्नुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
18. निविदा के साथ हैसियत (टी–4), चरित्र (टी–5) एवं (टी–6) प्रमाण–पत्र निविदादाता को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

19 निविदा के साथ ठेकेदार/फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. शासनादेश संख्या–2392/23–1–2013–72 सा0/12 दिनांक 22.11.2013 के अनुपालन में ग्राम सम्पर्क मार्गों पर नवीनीकरण/विशेश मरम्मत कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष होगा।

(इं0 अवधेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0
आजमगढ़।